

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 67/16

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री दिनेश गहलोत पुत्र श्री जेटाराम गहलोत उम्र 26 वर्ष
(एफबीआ) फर्म सूर्या फूड एण्ड एक्वा इण्डस्ट्रीज
बारला बेरा, पाल रोड जोधपुर। नि. बारला बेरा, पाल रोड,
जोधपुर।
2. श्रीमती विनिता गहलोत (मालिक) फर्म मैसर्स सूर्या फूड एण्ड
एक्वा इण्डस्ट्रीज, बारला बेरा, पाल रोड, जोधपुर। नि. बारला
बेरा, पाल रोड, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.05.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोधपुर जोन, जोधपुर (राज.) द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स सूर्या फूड एण्ड एक्वा इण्डस्ट्रीज, बारला बेरा, पाल रोड, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान पैकड फ्लैवर्ड वाटर (सूर्या) 80 कार्टन में 96 बोटल्स 1 लीटर की आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त पैकड फ्लैवर्ड वाटर (सूर्या) 80 कार्टन की 96 बोटल्स में 1-1 लीटर की चार बोटल्स वास्ते नमूना संख्या एडी-374 वास्ते जाँच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 168/- नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जाँच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा पैकड फ्लैवर्ड वाटर (सूर्या) 1 लीटर की चारो बोटल्स पर लगाने के लिए अलग-अलग चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी-374 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी-374 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूने पर सिर से होते हुए नीचे पेदे तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गाँठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार-चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूने के सिर पर एक पेदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गाँठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रॉस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जाँच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी-374 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जाँच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जाँच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की। जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया। उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जाँच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि पैकड फ्लैवर्ड वाटर (सूर्या) 1 लीटर की चारों नमूना बोटल्स को अलग-अलग 2-2 भागों में एडी-374 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/513/एक्ट/2016/546 दिनांक 23.05.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जाँच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी-374 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी।



3. अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री भैराराम ने अपना वकालत नामा पेश किया गया परंतु अनेक अवसर प्रदान करने के बावजूद अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया अतः जवाब बन्द किया गया तथा बहस हेतु भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए। अतः मैं एक पक्षीय आदेश पारित करना उचित समझती हूँ।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। जवाब व बहस हेतु अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगण पब्लिक हेल्थ लेबोर्टरी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 23.05.2016 के विरुद्ध अप्रार्थीगण अपील कर सकता था। परन्तु बावजूद सूचनार्थ अप्रार्थी ने निर्धारित तीस दिवस की अवधि में धारा 46 की उपराधा 4 के अधीन फार्म संख्या 8 में नहीं की। अतः मैं फूड ऐनालिसिस की रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) एवं धारा 52 व 58 के तहत दोषी पाये जाने से अप्रार्थीगण 1 व 2 प्रत्येक पर अलग-अलग रुपये ~~19,000/-~~ अक्षरे रुपये ~~215~~ ~~8,415~~ की शास्ति आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ~~30/6/17~~ के एक माह के अंदर-अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ~~30/6/17~~ को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कवैया)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

मजिस्ट्रेट (शहर) दिनांक: 30-6-2017

क्रमांक:- न्यायिक/कोर्ट/2017/ 1474-1477

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री राजेश टींकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोधपुर जोन।
03. श्री दिनेश गहलोत पुत्र श्री जेठाराम गहलोत उम्र 26 वर्ष (एफबीआ) फर्म सूर्या फूड एण्ड एक्वा इण्डस्ट्रीज बारला बेरा, पाल रोड जोधपुर। नि. बारला बेरा, पाल रोड, जोधपुर।
04. श्रीमती विनिता गहलोत (मालिक) फर्म मैसर्स सूर्या फूड एण्ड एक्वा इण्डस्ट्रीज, बारला बेरा, पाल रोड, जोधपुर। नि. बारला बेरा, पाल रोड, जोधपुर।



(सीमा कवैया)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर